न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2025	2025/198	27.06.2025	27.06.2025

1. श्रीमती रामोती पत्नी स्व. श्री हनुमान प्रसाद जाति मीना, निवासी म.नं. 31/52 भैरू का चबूतरा, अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1407 निर्णय दिनांक 27.11.2017 तहसीलदार अलवर, तहसील व जिला अलवर (राज0)

उपस्थितः—
01—श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार अलबर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 नामान्तकरण संख्या 1407 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.41 हैक्टेयर व 1460 रकबा 0.54 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 0.95 हैक्टेयर ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलार्थी के पति स्व० श्री हनुमान प्रसाद मीना का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जिन श्री हनुमान प्रसाद मीना का देवलोकगमन दिनांक 19.12.2016 को हो जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा उनकी विरासत का नामान्तकरण अपने हक में दर्ज कराने के लिए समस्त दस्तावेजी पूर्तियों करते हुए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू—अभिलेख, अलवर राजस्थान द्वारा गलत, मनमाने तरीके से खिलाफ रिकार्ड अपीलार्थी का वास्तविक नाम रामोती के स्थान पर सोमोती पत्नी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वारा दर्ज करने की आज्ञा सादिर फरमा दी गई, जिस आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुतकर्दा अपील अन्य वजूहात के अतिरिक्त निम्न वजूहात के आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :—

आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय काण्ट्रेरी टू लॉ एवं अगेनस्ट दी प्रोसीजर होने से अपास्त किए जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 पारित फरमाते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना ज्यूडिशियल माईण्ड कतई एप्लाई नहीं किया गया। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 पारित फरमाते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की गई आधार कार्ड संख्या 846450950420, पैन कार्ड संख्या CUKPR8869N व भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आरजे/08/063/399337 की प्रतियों पर कोई गौर नहीं फरमाया गया, जिन सभी दस्तावेजात में अपीलार्थी का नाम रामोती दर्ज है। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से भी यह तथ्य जाहिर किया गया था कि अपीलार्थी का नाम रामोती है, जिस तथ्य पर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 पक्षकारान के मध्य मल्टीप्लिसिटी आफ सूटस बढाने व अपीलार्थी के अधिकारों को तवालत में डालने की नियत व गर्ज से पारित किया गया है। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, अलवर जिला अलवर राजस्थान द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 को पारित किया गया है। अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम रामोती के स्थान पर सोमोती दर्ज होने के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक जिस आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 की जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 07.06.2025 को जमाबन्दी की प्रति इण्टरनेट से प्राप्त करने पर हुई, जिस पर दिनांक 11.06.2025 को ही आक्षेपित आदेश दिनांक दिनांक 27.11.2017 की प्रमाणित एवं सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 की प्रमाणित एवं सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त होने पर जब अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय से सलाह मशवरा करने पर उनके द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की बाबत सलाह दिए जाने से, प्रस्तुतकर्दा अपील आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 की जानकारी होने से मामूलन अन्दर मियाद माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2017 से दिनांक तक की हुई देरी बवजह लाईल्मी होने व उसके बाद से अपील प्रस्तुत करने तक की हुई देरी नकल प्राप्त करने व महनताना वकील साहब तथा खर्चा अपील का इन्तजाम करने में व्यतीत होने से काबिले मुआफी होने से मियाद में मुजरा दिया जाकर पेशकर्दा अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत है। जिस हेतु अलहदा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद वाद अधिनियम माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील आवेदन अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.11.2017 ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, अलवर राजस्थान जिसके द्वारा माननीय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.41 हैक्टेयर व 1460 रकबा 0.54 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.95 हैक्टेयर वाकै ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान को अपास्त फरमाया जावें तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात की बाबत समस्त राजस्व रिकार्ड में से अपीलार्थी के नाम सोमोती के दर्ज अंकन को कलमजन किया जाकर अपीलार्थी का नाम वास्तविक एवं सही नाम रामोती दर्ज किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जाये। अति कृपा होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1407 वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम वास्तविक नाम रामोती के स्थान पर सोमोती नाम दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध दिनांक 27.06.2025 को पेश की गयी है जो करीब 07 साल 07 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.11.2017 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा मुख्य कथन किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.41 हैक्टेयर व 1460 रकबा 0.54 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.95 हैक्टेयर वाकै ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा है। उक्त आराजी का विरासत नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा स्वीकार करते समय अपीलाण्ट के वास्तविक नाम रामोती पत्नी स्व० हनुमान प्रसाद के स्थान पर सोमोती पत्नी स्व० हनुमान प्रसाद दर्ज कर दिया गया है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रामोती है। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 846450950420, पैन कार्ड संख्या CUKPR8869N व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/08/063/399337 की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रामोती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा विरासत इंतकाल स्वीकृत करते समय श्रृटिवश सोमोती दर्ज हो गया, जो एक विधिक त्रुटि है। उपरोक्त इंतकाल में अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामोती दर्ज कर इंतकाल में संशोधन किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश इन्तकाल संख्या 1407 दिनांक 27.11.2017 को अपीलाण्ट के नाम/हिस्से तक निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के नाम सोमोती के दर्ज अंकन को कलमजन किया जाकर अपीलार्थी का वास्तविक व सही नाम रामोती पत्नी स्व० हनुमान प्रसाद का अंकन कर इंतकाल दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)